

13/01/23

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष (कारान उपस्थित)  
लेख पर मन्तव्य किया गया। पत्रावली, पत्रावली  
पर उपस्थित दस्तावेज व न्याय के सुसंगत  
प्रावधानों का अवलोकन किया गया। दावा वादी  
द्वारा 88 RTA, 1955 साबित होने पर डिस्मिस किया  
जाता है। विस्तृत विषय पृथक से टंकित करना था  
जिसके सुनने न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो दर्जिल  
दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर  
सेक्टर 10 (जयपुर)

